

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

सर सुन्दर लाल हौस्पिटल  
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस  
वाराणसी। -221005

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 01.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	राकेश कुमार पिता-विनोद प्रसाद साह ग्राम-डकरा सतखजुरीया पो०-हेरू दियारा थाना-नया रामनगर जिला मुंगेर	कैंसर रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
2	पिंकी कुमारी पति-ब्रज किशोर गुप्ता ग्राम-अमरा तालाब पो०-करबन्दीया थाना-सासाराम जिला-रोहतास ओ०पी०डीनं०-31056	पेट रोग	₹ 15,000 /-(पन्द्रह हजार) स्वीकृत।
3	पुनम कुमारी पिता-कृष्णा प्रसाद मो०-स्टेशन रोड नं-1 गुमटी पो०-आर०एस० थाना-कोतवाली जिला-गया हौस्पिटलनं०-4236 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
4	माया देवी पति-चन्द्रिका साह ग्राम-लखौरा गणेश टोला पो०-थाना-लखौरा जिला-पूर्वी चम्पारण ओ.पी.डीनं० -1026 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।

११/६/१६  
१६/६/१६

5	सोनामती देवी पति-मदन सिंह ग्राम-पर्वतपुर पो0-नटवार थाना-विक्रमगंज जिला-रोहतास ओपीडी नं0-5360 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
6	सुनील कुमार पिता-स्व. सोमल राम ग्राम' कुल्हवा पो0-बड़की बसौली थाना डुमराव जिला-बक्सर ओ.पीडी नं0-783 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,85,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,85,000 /-( तीन लाख पचासी हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 3,85,000 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 1065 4904 247 (स्पेशल फण्ड/एकाउण्ट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), खाता धारक का नाम- कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0000211 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0 / -

( डा0 आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 3,85,000 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0 / -

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 837(14)

पटना, दिनांक

08.06.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री शैलेश कुमार, मंत्री ग्रामीण कार्य वि0 बिहार सरकार / श्री प्रमोद कुमार, स.वि.स0 मोतिहारी पता-77.78 विरचन्द्र पटेल पथ पटना / डा0 प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल, बिहार विधान सभा / सभी संबंधित मरीजों/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.1.16

प्रेषक

डा०. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

रविन्द्र नाथ टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान,  
मुकुन्दपुर, कोलकत्ता 700099

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 1.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	हसन अजीज आमीर पिता-मो० लुकमान ग्राम-बाढ़ समैला पो०-समैला लालगंज थाना-केवटी जिला-दरभंगा	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	मो० सोहेल अहमद पिता-मो० फजलुर रहमान ग्राम+पो०-चकनत्थु थाना-सन्हौला जिला-भागलपुर	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	सुबोध कुमार केसरी पिता-देवेन्द्र कुमार केसरी ग्राम-मिल्की मोहल्ला पो०+थाना-आरा जिला-भोजपुर	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 6,25,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 6,25,000/- ( छः लाख पच्चीस हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 387962 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50001127638 खाता धारक का नाम-"निदेशक, रविन्द्र नाथ टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान, मुकुन्दपुर, कोलकत्ता " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम-आर.टी.आई.आई.सी, एस.मुकुन्दपुर, ब्रांच RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212447 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।

31/11/17  
9/11/17

- 5 . मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0. आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 387962 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 08.06.16

ज्ञापांक 836 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री संजय सरावगी, स0वि0स0 83 दरभंगा, पता-03 बंदर बगीचा पटना 800001/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.6.16

सं० सं० 14/एम 11-2/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा०. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान  
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 01.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	उमेश कुमार पिता-मुन्द्रिका प्रसाद सिंह ग्राम-मराची ताजपुर पो०-थाना-मराची जिला-पटना सीआरन०-2016294892	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत
2	विष्णु तुलस्यान पिता-नरेश कुमार तुलस्यान ग्राम-केसरीया रोड चकीया पो०-बारा चकीया थाना-चकीया पी०एस० जिला-पूर्वी चम्पारण सी.आरन०-2016242862	मुत्र रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत
3	विजय कुमार पिता-इन्द्रासन महतो ग्राम-पो०-मदवर थाना-बगेन गोला जिला-बक्सर सीआरन०-2016295157	गुर्दा प्रत्योपण	₹ 2,50,000 /-(दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	मनीष कुमार सिंह पिता-स्व. सूर्य देव सिंह ग्राम+पो०+थाना-विदुपुर जिला-वैशाली सीआरन०-2016195753	बोन	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत
5	लखमुनी देवी पति-कृष्णा प्रसाद गुप्ता ग्राम-तेनुअज बाजार पो०-थाना-नटवार जिला-रोहतास सीआरन०-2015296984	गुर्दा प्रण	₹ 2,50,000 /-(दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।

30/11/16  
3/10/16

6	विरेन्द्र ठाकुर पिता-रामप्रीत ठाकुर ग्राम+पो0-अहिरौली थाना-इन्डस्ट्रीयल ऐरिया जिला-बक्सर सी.आरनं0-2015854032	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000 /--(दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
7	रामजी शर्मा पिता-स्व.हरदेव ठाकुर ग्राम-देवरामठ पो0-पंडितगंज थाना-घोषी जिला-जहानाबाद सीआरनं0-2016237728	कैंसर रोग	₹ 80,000 /--(अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 10,10,000 /--

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,10,000 /--( दस लाख दस हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 387901 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस० पी०ई०डी० खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस०जी०पी०जी०आई०,RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय। इसे अत्यावश्यक माना जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा०. आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक

ज्ञापांक प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, य स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 387901 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 08.06.16

ज्ञापांक 841 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री नीरज कुमार, प्रवक्ता स०वि०पो. पता-बी०-3/सर्स फ्लैट बेली रोड पटना 800001 / श्री श्याम बाबु प्र० यादव, स०वि०स० पता-दरोगा रा००४-सी ब्लॉक पटना / सभी संबंधित मरीजों / आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूच आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)